उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– ✓ /2015/XXVII(9)/स्टाम्प –42/2008
देहरादूनः दिनांकः 23 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) 74 तथा 75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्:–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 156 का संशोधन

2. उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि ₹ 25,000/– से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा।	156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीद कर सकेंगे; परन्तु यह कि ₹ 25,000/– से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा; **परन्तु अग्रतर यह कि स्टाम्प विक्रेता किसी भी मूल्य का ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।**

क्रमशः..2..

नियम 161 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 161 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के ₹ 1.00 प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा ; प्रतिबन्ध यह है कि गैर न्यायिक स्टाम्पों के ₹ 1000 मूल्य तक के स्टाम्पों के क्रय पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञप्त विक्रेता को अनुमन्य होगी। यदि अनुज्ञेय छूट में ₹ का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पॉच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जाएगी परन्तु उस पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। (क) स्वयं क्रेता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर, (ख) यदि ₹ 5 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं, (ग) केवल एक ₹ के भाग पर, तथा (घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर	161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के ₹ 1.00 प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा ; प्रतिबन्ध यह है कि गैर न्यायिक स्टाम्पों के ₹ 1000 मूल्य तक के स्टाम्पों के क्रय पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञप्त विक्रेता को अनुमन्य होगी। यदि अनुज्ञेय छूट में ₹ का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पॉच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जाएगी परन्तु उस पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। (क) स्वयं क्रेता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर, (ख) यदि ₹ 5 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं, (ग) केवल एक ₹ के भाग पर, तथा (घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर, **परन्तु, यह कि–** **1. स्टाम्प विक्रेता द्वारा जारी किये गये प्रत्येक ई–स्टाम्प पर 0.85 प्रतिशत की दर से स्टाम्प विक्रेता को कमीशन देय होगा, जो स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने अधीन अधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) को दिये जाने वाले कमीशन के अतिरिक्त होगा।** **2. स्टाम्प विक्रेता सृजित प्रत्येक ई–स्टाम्प के लिये ₹ 10 प्रति ई–स्टाम्प स्टेशनरी शुल्क के रूप में क्रेता से प्राप्त करेगा।**

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 50 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प –42/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमशः..3..

2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।